

न्यायालय श्रीमान (कलेक्टर महोदय) जिला राजगढ़ म०प्र०-11

31/1

रिवीजन

R-2658-I/12

देवा पिता नन्दा निवासी भादवाखेडा तहसील व जिला राजगढ़ म०प्र० ।

..रिवीजनकर्ता

रजिस्ट्रार जनरल द्वारा प्रस्तुत

- 1-बीरम पिता खीमा गाडरी
- 2-बापूलाल पिता बीरम गाडरी
- 3-रंगलाल पिता बीरम गाडरी

सर्व नि. भादवाखेडा तह. व जिला राजगढ़ ...अनावेदकगण

राजस्थान न्यायिक प्रणाली 4.00 PM

आवेदन -पत्र अन्तर्गत धारा 50 एम.पी.एल.आर.सी. ::

:: रिवीजन ::

माननीय महोदय,

विनम्र निवेदन है कि, प्र.क्र. 04/ए/6-ए/2010-11 आदेश दिनांक 16.4.2012 के आदेश से दुखी एवं असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत कि जा रही है ।

यह कि, उपरोक्त आदेश विधि-विधान के विपरीत है मनमाने तरीके से पारित किया गया है जो कि निरस्ती योग्य है ।

यह कि दिनांक 13.1.2012 को प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित लिखित बहस प्रस्तुत प्र.क्र. आदेशार्थ दिनांक 28.2.2012 ओवर राईटिंग के साथ लिखी गई थी उसके बाद दिनांक 16.1.2012 को पुनः प्रोसेडींग लिखी गई पि.र 20.1.2012 को, पुनः 23.1.2012 को पुनः 28.1.2012 को पुनः प्रोसेडींग लिखी गई जिसे यह बताया गया कि प्रभारी अधिकारी अन्य कार्यों कि व्यस्तता के कारण आदेश नहीं हो सका प्र.क्र. यथावध दिनांक 26.3.2012 दिनांक 26.3.2012 को प्र.क्र. प्रस्तुत अनावेदक अभिभाषक उपस्थित प्र.क्र. पूर्वत आदेश 16.4.2012

यह कि, दिनांक 16.4.2012 को प्र.क्र. पेश अवलोकन किया अनावेदक अभिभाषक उपस्थित आदेश प्रथम से पारित स्पष्ट है कि प्र.क्र. में आदेश कि नियत 28.2.2012 थी प्र.क्र. में दोनो पक्षों कि बहस और प्र.क्र. कि सुनवाई तत्कालीन पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा कि गई थी लेकिन प्र.क्र. में आदेश वर्तमान पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा पारित किया गया जबकि विधि का

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	प्रकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8.3.2017	<p>अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ [देवा / वीरम]</p> <p>आवेदक अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाये जाने के कारण समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया। निवेदन स्वीकार। प्रकरण नॉटप्रेस में समाप्त किया जाता है।</p>	<p>अध्यक्ष</p>